

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-685/2014
संस्थित दिनांक 25.07.14
फाईलिंग नं.-234503003552014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

---- **-अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

गुड्डू उर्फ देवेन्द्र उइके पिता ईश्वरीलाल उइके, उम्र-44 साल,
साकिन लामटा रोड नरसिंहटोला थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - **-आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 20/03/2018 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 353, 332, 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 13.07.2014 को रात्रि 08:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत बस स्टेण्ड बैहर लोकस्थान में फरियादी सालिकराम मेरावी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर फरियादी सालिकराम मेरावी जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर आहत सालिकराम मेरावी को जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से चांटा मारकर तथा धक्का देकर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं फरियादी सालिकराम मेरावी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी सालिकराम मरावी ने दिनांक 13.07.14 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि

वह थाना बैहर में वर्ष 2010 से हवलदार नगर सैनिक के पद पर है। घटना दिनांक 13.07.14 को शाम 06:00 बजे वह अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी करीब साढ़े आठ बजे जबलपुर से महाकौशल बस आकर बस स्टेण्ड पर खड़ी हुई थी, तब उसने देखा कि गुड्डू उयके वहाँ पहुँचकर बस के ड्राइवर को खींचकर नीचे उतारकर झगड़ा कर रहा था, जिसके कारण लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। झगड़ा होते देखकर वह मौके पर पहुँचा और गुड्डू उयके को झगड़ा नहीं करने और वहाँ से जाने कहा तो गुड्डू ने बोला कि वह कौन होता है, बीच में आने वाला, मादरचोद तू यहाँ होना नहीं चल भाग यहाँ से और उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर हाथों से दो बार चांटे मारे और धक्का दिया, जिससे वह वह नीचे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और उसके दोनों घुटनों में चोट आई तथा वर्दी का पेंट भी फट गया। घटना प्र.आर. कपूर बिसेन, चित्रराज बागड़े, स.उ.नि. योगेन्द्र चौहान और आस-पास के लोगों ने देखे। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरियादी सालिकराम के कथन, जप्ती, घटनास्थल का निरीक्षण, पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट तथा साक्षीगण के कथन एवं संपूर्ण विवेचना से आरोपी गुड्डू उयके के विरुद्ध अपराध धारा-353, 332, 323, 294 भा.द.वि. का होना प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरान्त चालान क्रमांक 99/14 दिनांक 23.07.14 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 353, 332, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत सालिकराम ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 332 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 13.07.2014 को रात्रि 08:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत बस स्टेण्ड बैहर लोकस्थान में फरियादी सालिकराम मेरावी जो कि लोकसेवक के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्त्तव्य के

निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आहत सालिकराम मेरावी को जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से चांटा मारकर तथा धक्का देकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02:-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5— फरियादी सालिकराम अ.सा.1 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2014 की रात्रि करीब 8:00 बजे बस स्टैंड की है। घटना के समय उसका आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था। फिर वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर उसने घटना के तुरंत बाद आरोपी के विरुद्ध थाना बैहर में शिकायत की थी। पुलिस ने उसकी शिकायत पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे कुछ जप्त नहीं किया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— फरियादी सालिकराम अ.सा.1 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.07.2014 की रात्रि 8:30 बजे वह बस स्टेण्ड ड्यूटी के दौरान महाकौशल बस की तरफ से चिल्ला चोट की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचा तो आरोपी बस के ड्रायवर को खींचकर उससे झगड़ा कर रहा था, जिसे उसने समझाना चाहा तो उसने उसे माँ-बहन की गालियाँ देकर गर्दन पर दो थप्पड़ मारे और धक्का देकर जमीन पर पटक दिया, उसकी वर्दी का पेन्ट फट गया और उसके दोनों घुटने में चोट आई, जिसके बाद मौके पर सहायक उपनिरीक्षक योगेन्द्र चौहान, प्रधान आरक्षक कपूर बिसेन एवं चित्रेश बागड़े ने आकर बीच-बचाव किया और आरोपी वहाँ से भाग गया, आरोपी ने ड्यूटी के दौरान कार्य में बाधा पहुँचाकर

मारपीट की एवं अश्लील गालियों दी।

7— फरियादी सालिकराम अ.सा.1 ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे थाना परिसर बैहर में घटना दिनांक 13.07.2014 का कार्य प्रमाण पत्र और खाकी वर्दी का फुलपेन्ट, दाहिने पैर के घुटने के पास फटा हुआ गवाह अनिल तथा प्रहलाद के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

8— साक्षी सालिकराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

9— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि फरियादी सालिकराम अ.सा.01 ने स्वयं बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। उक्त साक्षी घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। आरोपित अपराध के संबंध में प्रकरण में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

10— फलतः अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सालिकराम मेरावी जो कि लोकसेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से हमला या

आपराधिक बल का प्रयोग कर आहत सालिकराम मेरावी को जो कि लोकसेवक के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा था, उसे कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से चांटा मारकर तथा धक्का देकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अतः आरोपी गुड्डू उर्फ देवेन्द्र उयके को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 332 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

11- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 18.07.14 से दिनांक 19.07.14 तक निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

13- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति फुलपेंट का टुकड़ा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / -
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही / -
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट